न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या-63/2023 निर्णय दिनांक -22.10.2024
(जी.सी.एम.एस.-2023/82)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान -

कमो देवी पत्नि रामरख जाति बाजीगर निवासी 2 डीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

.....प्रार्थीया.....

बनाम-

01- गुरप्रीत सिंह पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी 2 डीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

02- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण .....

उपस्थिति-

01- श्री साहिब बाघला, वकील प्रार्थी

02- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर।

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:-

प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि वाके चक 2 डीएम मुरब्बा नम्बर 34 पत्थर संख्या 102/23 का किला नं- 22, 23, 24, 25/1, 25/2 मे 1.0120 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा मय खाला राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थी सं-1 के नाम से इसी चक 2 डीएम का मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 के किला नं-16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/3, 20/4, 21/2 मे 1.4660 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है तथा ना ही कोई रास्ता मौका पर स्वीकृत है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतु कोई भी रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीया को बहुत ही ज्यादा परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं-1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिम दिशा मे मौका पर रास्ता चल रहा है जो स्वीकृत रास्ता आगे जाकर मुख्य सड़क से जुड़ता है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 2 डीएम मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 के किला नं-21 मे से एक बिस्वा रास्ता (दक्षिण दिशा की तरफ खाला के साथ चिपते हुये) स्वीकृत करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया अप्रार्थी के किला नं-21 मे से रास्ता स्वीकृत होने के बाद उक्त रास्ता से होकर आगे चल रहे रास्ता से जुड़कर मुख्य सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:49:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 63/2023 अनवान कमो देवी बनाम गुरप्रीत सिंह वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 22.10.2024

पर आ जा सकती है तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुगम व सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। प्रार्थीया ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि मे फसल बिजांद कर रखी है तथा प्रार्थीया की कृषि भूमि मे आने जाने के लिए मौका पर चल रहा रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा रास्ता के अभाव मे प्रार्थीया को अपनी कृषि जिन्स कृषि मण्डी मे लाने मे भारी असुविधा होती है। इसलिए प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं-1 की कृषि भूमि मे रास्ता मंजुर करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अकन करवाना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी की कृषि भूमि चक-2 डीएम मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 के किला नं-21 मे से एक बिस्वा रास्ता (दक्षिण दिशा की तरफ खाला के साथ चिपते हुऐ) मंजुर करवाने बावत अनुतोष चाहा गया है। रास्ता मे आने वाली भूमि की ऐवज मे प्रार्थीया अप्रार्थी को भूमि का भूमि का डीएलसी मुल्य या एक बिस्वा भूमि देने को तैयार है। प्रार्थी ने दिनांक 14-6-2023 को अप्रार्थी सं-1 से मिल कर उसकी कृषि भूमि चक 2 डीएम मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 के किला नं-21 मे से 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का निवेदन किया लेकिन अप्राथी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि वाके चक-2 डीएम मुरब्बा नं--34 पत्थर सं-102/23 का किला नं-22, 23, 24, 25/1, 25/2 मे 1.0120 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकवा मे आने जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि कृषि भूमि चक 2 डीएम मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 के किला नं-21 मे एक बिस्वा रास्ता (दिशा की तरफ खाला के साथ चिपते हुऐ) को स्वीकृत किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत कूपली एवं पटवारी हल्का 2 डीएम की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। भू-अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता परम आवश्यक है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, नजरी नक्शा संलग्न है। रास्ते की परम आवश्यकता है, जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। न्युनतम एवं निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। चाहा गया सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 की भूमि में से होकर जाता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाबप्रार्थना [illegible] तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित [illegible] जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का [illegible] विधिक प्रावधानों पर उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा की अवलोकन [illegible] संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की [illegible] फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी रकबा वाके चक 2 डीएम मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 का किला नं- 22, 23, 24, 25/1, 25/2 मे 1.0120 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी जोत तक पहुचने के लिए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:49:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ. नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने रकबा चक 2 डीएम मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 का किला नं- 22, 23, 24, 25/1, 25/2 मे 1.0120 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि को काश्त करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक/स्वीकृत शुल्का मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 2 डीएम मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 का किला नं- 22, 23, 24, 25/1, 25/2 मे 1.0120 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा में प्रवेश के लिए चक 2 डीएम के मुरब्बा नं-34 पत्थर सं-102/23 के किला नं-21 मे एक बिस्वा रास्ता (दक्षिण दिशा की तरफ खाला के साथ चिपते हुऐ) स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितवद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:49:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner